

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी शंकरलाल विपक्षी रुपा  
 किस्म मुकदमा वाफ पत्रावली संख्या 48/13 (वाफ) सन

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>28/08/21 पत्रावली पेशादुर) आदि.                      उक्त पक्षकारान 34) क नदसीलदार मावली                      की विपीई डाफ्त) नदसीलदार मावली                      की विपीई के अनुसार वादग्रस्त जमि                      का वंशसम्पत्ति बंटावडा) हो चुका है।                      आदि. उक्त पक्षकारान को इस संबंध                      में अवगत कराया गया) आदि. उक्त                      कोच) पत्रावली कसल करने कारीबंद                      किया) मंत्रालय का विनम्र अतिमन                      है कि वादग्रस्त जमि के संबंध में                      पारस्परिक डिफ्टी दिनांक 27/03/14 को                      जारी की गई थी। उसके पश्चात                      वादग्रस्त जमि के सदस्यो दारो                      कोच) वंशसम्पत्ति विभाजन करवाया                      गया है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त                      जमि के संबंध में अब सदस्यो दारो                      के मध्य कोई विवाद नही होकर                      वंशसम्पत्ति विभाजन हो चुका है। ऐसे                      में प्रकरण को आगे चलाने का कोई                      औचित्य नही है। अतः वाद वाद/इस                      स्तर पर छोड़ दिया जाकर खारिज                      किया जाना है।                      पत्रावली कसल कुमार होकर नंबर                      से कम है।                      निर्णय करे ई जलान सुनाया गया)</p>	



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) मावली